SNo. 23(R)

APCR

पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर

क्रमांक /पु0मु0/उमनि/अजाक/ 800 /06 दिनांक 21 .3.06

प्रति,

श्री के0एन0सिंह,
संयुक्त सचिव,
भारत सरकार,
राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाति आयोग,
नई दिल्ली ।

विषय :- दिनांक 28.2.06 को दक्षिण बस्तर के ग्राम दरभागुड़ा में सलवा जुडूम रैली पर नक्सलीयों द्वारा किये गये हमले बाबत् प्रतिवेदन ।

संदर्भ :- आपका पत्र क0-छ0ग0/एस0टी0-2/06 एट्रोसिटी दिनांक 1.3.06 ।

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें । आपके द्वारा चाही गयी जानकारी कंडिकावार निम्नानुसार है ।

1. प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त घटना में कुल 28 व्यक्ति मारे गये हैं , व 27 व्यक्ति घायल हो गये हैं । अपहृत व्यक्तियों की जानकारी निरंक है ।

2. शासन द्वारा इस घटना में मारे गये व्यक्तियों के परिवार को दो-दो लाख रू0 एवं घायलों को 30-30 हजार रू0 की सहायता राशि स्वीकृत की गयी है व भुगतान किया गया है ।

3. शासन द्वारा घायलों को बेहतर इलाज हेतु सीमावर्ती राज्य आंध्र प्रदेश के भद्राचलम, खम्माम, तथा हैदराबाद के अस्पातालों में भर्ती कराकर बेहतर इलाज कराया जा रहा है।

4. उक्त घटना में अपहृत व्यक्तियों की जानकारी निरंक है ।

5. इस विन्दु में उल्लेखित प्रश्न शासन स्तर से संबंधित है , किन्तु कलेक्टर दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा द्वारा अबतक कोई जांच की घोषणा नहीं की गयी है ।

पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा द्वारा प्रेषित रिपोर्ट की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है ।

प्रतिवेदन आपकी ओर सादर प्रेषित है ।

उ0म0नि0 (अजाक/कल्याण)
पुलिस मुख्यालय, रायपुर

- Today M.
- Missent M.
Dealt in Commission office.
8/3

Dy. No. 961 /Dir.(S G & C)
Dated 31/3/06

:: 25

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा (छ0ग0) ::

क्र0/पु0अ0/दन्ते0/जिविशा/न0सेल0/ 177 /06 दिनांक : 02.03.06

प्रति,

अति पुलिस महानिदेशक,
अपराध अनुंसधान विभाग,
पुलिस मुख्यालय, रायपुर

विषय :– राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाति आयोग द्वारा चाही गई जानकारी ।

संदर्भ :– आपका फैक्स संदेश दिनांक 02.03.2006

---0---

कृपया संदर्भित फैक्स संदेश का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा चाही गई जानकारी बिन्दुवार निम्नानुसार है :–

बिन्दु कमांक 01 :– दिनांक 24.02.06 को कोन्टा में एक विशाल आमसभा के साथ हुई । कोन्टा क्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों को सलवा जुडूम में शामिल करने के लिये नेता प्रतिपक्ष महेन्द्र कर्मा के नेतृत्व में चार दिवसीय पदयात्रा की योजना बनाई गई जिसके तहत् दिनांक 24.02.06 से दिनांक 27.02.06 तक चार चरणों में पदयात्रा को विभाजित किया गया ।

दिनांक 24.02.06	–	कोन्टा से इंजरम 10 कि0मी0
दिनांक 25.0.05	–	इंजरम से एर्राबोर 10 कि0मी0
दिनांक 26.02.06	–	एर्राबोर से दोरनापाल 22 कि0मी0
दिनांक 27.02.06	–	दोरनापाल में आमसभा

कोन्टा से दोरनापाल से इस 45 कि0मी0 की पदयात्रा में नेता प्रतिपक्ष श्री महेन्द्र कर्मा के साथ दन्तेवाड़ा के कलेक्टर श्री के.आर.पिस्दा, पुलिस अधीक्षक श्री प्रवीर दास, कमाण्डेट 9वीं वाहिनी छसबल दन्तेवाड़ा श्री शैल ब्रम्हें, कमाण्डेट 119वीं सी.आर.पी.एफ.श्री अशोक बाली, डिप्टी कमाण्डेंट 119वी सी.आर.पी.एफ श्री बुनकर, एस.डी.ओ.पी. कोन्टा श्री डी.आर. आचंला, एस.डी.ओ.पी. दोरनापाल श्री अरविन्द कुजूर के अतिरिक्त लगभग 10 हजार भीड़ शामिल हुई ।

इस पदयात्रा की संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था के लिये 119वीं सी.आर.पी.एफ. की चार कंपनी (कैम्प सुकमा, दोरनापाल, एर्राबोर, कोन्टा) छसबल की दो कंपनी (9th & 6th) 119वी सी.आर.पी.एफ. का एक केक प्लाटून, बम डिस्पोजल स्क्वाड, डॉग स्क्वाड एवं 14 मोटर

सायकल पार्टियां इस तरह से लगाई गई थी कि केक प्लाटून के साथ बम डिस्पोजल स्क्वाड और 03 स्नीफर और ट्रेकर डॉग आगे – आगे चल रहे थे ताकि सबसे आगे चलते हुये रास्ते में लगे बमों को चिन्हित कर नष्ट किया जा सके ताकि शेष पदयात्री सुरक्षित निकल सके । पदयात्रा के दोनो तरफ 119वी सी.आर.पी.एफ. के जवान लगे थे एवं पार्टी के पीछे 9वीं वाहिनी छसबल के 65 जवान सुरक्षा डियुटी मे लगाये गये थे । नेता प्रतिपक्ष के साथ विशेष रूप से उनके 25 सुरक्षा कर्मियों के अतिरिक्त स्वंय पुलिस अधीक्षक, दन्तेवाड़ा एवं उनके 25 सुरक्षा कर्मी साथ – साथ चल रहे थे । पदयात्रा निकलने के पूर्व ही संपूर्ण मार्ग में जिला पुलिस बल और 119वीं सी.आर.पी.एफ. के जवानों द्वारा रोड़ ओपनिंग की जाती थी । इसके लिये कोन्टा की सी.आर.पी.एफ. कोन्टा से इंजरम, एर्राबोर की सी.आर.पी.एफ. एर्राबोर से इंरजम एवं दोरनापाल की सी.आर.पी.एफ. दोरनापाल से एर्राबोर तक रोड़ ओपनिंग का कार्य कर रही थी । दिनांक 24.02.06 को पदयात्रा में शामिल होने गये दन्तेवाड़ा, फरसपाल और बारसूर के लोगों के लिये भी कुआकोण्डा में स्थित सी.आर.पी.एफ. के द्वारा कुआकोण्डा से गादीरास तक एवं सुकमा की सी.आर.पी.एफ. द्वारा सुकमा से दोरनापाल तक रोड़ ओपनिंग की कार्यवाही की गई ।

घटना दिनांक से एक दिन पूर्व दिनांक 27.02.06 को पदयात्रा सफलता और सुरक्षित पूर्वक दोरनापाल में संपन्न हुई जिसमें लगभग 12 हजार लोगों ने भाग लिया, पश्चात् तीन राहत कैम्पों में इन लोगों को रखने का निर्णय लिया गया । दोरनापाल, एर्राबोर एवं कोन्टा में जहां – जहां बल की मौजूदगी है वहां – वहां कैम्प खोले गये । दोरनापाल अंचल के लोग दोरनापाल कैम्प में ही रूक गये एवं दिनांक 27.02.06 को आमसभा के पश्चात् ही एर्राबोर और कोन्टा क्षेत्र के लोग अपने – अपने साधनों से लौटने लगे थे ।

अधिकतर लोगों के अगले दिन दिनांक 28.02.06 को निकलने की संभावना को देखते हुये पुनः रोड ओपनिंग लगाई थी, एर्राबोर और इंजरम के बीच अधिक खतरा होने के कारण एवं गौपनीय सूचना मिलने के कारण एर्राबोर की सी.आर.पी.एफ. द्वारा एम्बुश पाईन्ट भी एर्राबोर और इंजरम के बीच लगाये गये थे, इसके अलावा दोरनापाल की सी. आर.पी.एफ. ने एर्राबोर तक एवं कोन्टा की सी.आर.पी.एफ. और 8वीं वाहिनी छसबल के द्वारा कोन्टा से इंजरम के मध्य रोड ओपनिंग लगाई गई थी ।

घटना दिनांक 28.02.2006 के प्रातः ग्रामीण अपने अपने गांव जाने हेतु 04 ट्रकों में सवार होकर दोरनापाल से कोंटा की ओर रवाना हुये थे कि करीब 11:00 बजे ग्राम दरभागुड़ा थाना एर्राबोर के पास नक्सलियों द्वारा शक्तिशाली बारूदी सुरंग विस्फोट कर वाहन को उड़ा दिया गया तथा पीछे चल रहे अन्य 03 ट्रकों में सवारी उतार कर आग लगा जला दिया गया । इस घटना में अबतक 27 व्यक्तियों की मृत हो गई तथा घायल 29 व्यक्ति अस्पताल में भर्ती हैं ।

बिन्दु कमांक 02 :– दन्तेवाड़ा एक बृहत क्षेत्र, सलवा जुडूम अभियान में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई थी परन्तु नक्सलियों द्वारा विस्फोटक लगाकर घटना घटित की गई है, दन्तेवाड़ा जिला तथा आसपास का क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र जहां नक्सलियों द्वारा घटनायें पूर्व से भी की जाती रही है जिसमें अनेक पुलिस कर्मी एवं उनका विरोध करने वाले शहीद हुये हैं । पुलिस बलों को हाई एलर्ट किया गया है ।

बिन्दु कमांक 03 :– दरभागुड़ा ब्लास्ट के संबंध में थाना कोंटा में अपराध कमांक 0/2006 धारा 147, 148, 149, 302, 307 ताहि, 4,5, वि.प.अधि., 38 (1)(2), 39(2) वि.वि.कि.निवा. अधिनियम पंजीबद्ध कर असल अपराध थाना एर्राबोर में 03/2006 धारा 147, 148, 149, 302, 307 ताहि, 4,5, वि.प.अधि., 38 (1)(2), 39(2) वि.वि.कि.निवा. कायम किया गया है । प्रथम सूचना पत्र की छायाप्रति पृथक से संलग्न है ।

बिन्दु कमांक 04 :– उक्त घटना में 27 व्यक्ति मृत हुये हैं तथा अन्य 29 घायल हुये हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं, सभी अनुसूचित जन जाति वर्ग के है ।

बिन्दु कमांक 05 :– जिला प्रशासन द्वारा मृतकों के आश्रित परिवारों को 2–2 लाख रूपये तथा घायलों को 30–30 हजार रूपये राहत राशी स्वीकृत किया गया है ।

बिन्दु कमांक 06 :– जिला प्रशासन द्वारा घायलों का समुचित ईलाज कराया जा रहा है ।

बिन्दु कमांक 07 :– उक्त घटना में अबतक की जानकारी के अनुसार किसी व्यक्ति का अपहरण अथवा गुमने की शिकायत की सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

बिन्दु कमांक 08 :– उक्त घटना की मजिस्ट्रीयल जांच कराने की घोषणा नहीं हुई है ।

कृपया चाही गई वांछित जानकारी सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है ।

पुलिस अधीक्षक,
दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा

पृ.क. /पु0अ0/दन्ते0/जिविशा/न0सेल0/ /06 दिनांक : 02.03.06
प्रतिलिपिः–

1. पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज, जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।

पुलिस अधीक्षक,
दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा

SNP·24(R)

APR

(31)

456/प्रि-आरक्षित
15/04/2006

सर्वथा गोपनीय

कार्यालय विशेष आसूचना शाखा पु0मु0 रायपुर

कमांक0/पुमु/पु.अ/वि.आ.शा./(777) 2006 दिनॉक 2/03/2006

प्रति,

संयुक्त सचिव
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार नई दिल्ली

विषयः– दिनांक 28–02–2006 को जिला दंतेवाड़ा के थाना एर्राबोर अंतर्गत ग्राम दरभागुड़ा में नक्सलियों द्वारा बम विस्फोट कर घटना घटित करने के संबंध में।

संदर्भः– आपका पत्र कमाक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नई दिल्ली के पत्र कमांक D.0.No. Chhattisgarh / ST/-2 /2006 Atrocity Dated 1/03/06

——00——

कृपया विषयांकित संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें कि जिला दंतेवाड़ा के थाना एर्राबोर अंतर्गत दिनांक 28–02–2006 को ग्राम दरभागुड़ा के पास नक्सलियों द्वारा बारूदी सुरंग विस्फोट किया गया उक्त घटना के संबंध में चाही गई बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार हैः–

बिन्दु क0–01. इस जिले के अंतर्गत कोंटा, एर्राबोर थाना क्षेत्र में नक्सलवादियों के सकियता को दृष्टिगत दिनांक 24.02.06 से 27.02.06 तक जन जागरण अभियान (सलवा जुडूम) के दौरान पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगाई गयी, जिसके अंतर्गत कोंटा से दोरनापाल तक 19वीं सी.आर.पी.एफ. की चार कंपनी (कैम्प–सुकमा दोरनापाल, एर्राबोर तथा कोंटा), छ.स.बल की 2 कंपनी (9वीं एवं 6 वीं बटालियन), 119वीं बटालियन सी.आ.पी.एफ.का 01 केक प्लाटून, बम डिस्पोजल स्क्वाड, डाग स्कवाड एवं 14 मोटर साईकिल की पार्टिया लगाई गई एवं दिनांक 28.02.06 को संभावित खतरों को ध्यान में रखकर एर्राबोर–इंजरम के बीच एम्बुश प्वाईट लगाई गयी तथा कोंटा के सी.आर.पी.एफ. 8 वीं बटालियन, छ.स.बल द्वारा कोंटा से इंजरम के मध्य रोड ओपनिंग की कार्यवाही किया गया।

13/4/06
Sh. ...

बिन्दु क0–02. यह सही नहीं है,कि शासन/प्रशासन द्वारा पर्याप्त प्रतिबंधातमक कदम नहीं उठाये गये। पुलिस प्रशासन द्वारा दिनांक 24.02.06 से दिनांक 27.02.06 तक अर्थात सलवा जुडूम रैली से लेकर अंतिम समय तक उपरोक्तानुसार (बिन्दु कमांक–01 में उल्लेखानुसार) पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया। दिनांक 28.02.06 को नक्सलियों के संभावित स्थानों पर पुलिस बल लगाया गया। भविष्य में इस प्रकार के घटनायें न हो इसके लिये सलवा जुडूम में जुड़े हुये व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु समुचित कदम उठाये जा रहे हैं।

बिन्दु क0–03. प्रथम सूचना पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

बिन्दु क0–04. उक्त घटना में अब तक कुल–28 व्यक्ति मारे गये तथा 27 व्यक्ति घायल हैं। अपहृत व्यक्तियों की संख्या निरंक है। सभी मृत, घायल व्यक्ति अनुसूचित जन जाति वर्ग के हैं।

बिन्दु क0–05. उक्त बारूदी सुरंग विस्फोट की घटना में मारे गये प्रत्येक व्यक्ति के आश्रित परिवार को रूपये 2 लाख के मान से आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत कर भुगतान किया गया एवं घायलों को प्रति घायल व्यक्ति रूपये 30 हजार के मान से आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत कर भुगतान किया गया।

बिन्दु क0–06. उक्त घटना में घयलों को आ0प्र0 के भद्राचलम, खग्गम तथा हैदराबाद में मुक्त ईलाज की व्यवस्था कराई गई।

बिन्दु क0–07. अपहृत एवं गुम लोगों की जानकारी निरंक।

बिन्दु क0–08. इस बिन्दु में उल्लेखित प्रश्न शासन स्तर से संबंधित है, किन्तु कलेक्टर दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा द्वारा अब तक कोई जांच की घोषणा नहीं की गई है।

बिन्दु क0–09. शासन द्वारा उक्त घटना में मारे गये व्यक्तियों को 2–2 लाख एवं घायलों को 30–30 हजार के मान से सहायता राशि स्वीकृत कर भुगतान किया गया।

प्रतिवेदन सादर संप्रेषित है।

अति0 पुलिस महानिदेशक,
गुप्त वार्ता / रेल्वे / नक्स0अभियान,
पुलिस मुख्यालय रायपुर (छत्तीसगढ़)

कमांक / पुमु / पु.अ / वि.आ.शा. / (778) 2006 दिनांक 2 / 03 / 2006
प्रतिलिपिः–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) छत्तीसगढ़ शासन रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. अवर सचिव छ0ग0 शासन गृह विभाग सी0–अनुभाग के पत्र कमांक एफ 4–7 / दो / गृह–सी. / 2006रायपुर दिनांक 10 / 03 / 06 के संदर्भ में सादर सूचनार्थ।

अति0 पुलिस महानिदेशक,
गुप्त वार्ता / रेल्वे / नक्स0अभियान,
पुलिस मुख्यालय रायपुर (छत्तीसगढ़)